न्यायालय अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा

पी0ए0 केश नं0– 14/16–17

नीलमुनी मुर्मू बनाम् रैयान मौजा–डकैता

–: आदेश :–

आवेदिका नीलमुनी मुर्मू, पति–स्व0 राजा हांसदा, सा0–डकैता, अंचल–बोआरीजोर, थाना–ललमटिया, जिला–गोड्डा ने संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम, 1949 की धारा–6 के तहत मौजा–डकैता नं0–44 के प्रधान की मृत्यु के फलस्वरूप रिक्त प्रधानी पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन दिया है।

आवेदिका के विज्ञ अधिवक्ता को सुना एवं अभिलेख में संलग्न कागजात का अवलोकन किया ।

आवेदिका द्वारा दाखिल आवेदन का जाँच प्रतिवेदन अंचल अधिकारी, बोआरीजोर के पत्रांक–345/रा0, दिनांक–29.09.2015 से प्राप्त है। जाँच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया है कि मौजा–डकैता नं0–44 प्रधानी मौजा है। आवेदिका नीलमुनी मुर्मू मौजा–डकैता नं0–44 के अन्तर्गत जमाबंदी नं0–22 के जमाबंदी रैयत सिंगराय हाँसदा की पुत्रवधू है। आवेदिका के पति–स्व0 राजा हांसदा उक्त प्रधानी मौजा के अंतिम प्रधान थे, जिनकी मृत्यु वर्ष 2009 में हो गई है। अंचल अधिकारी, बोआरीजोर द्वारा संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम, 1949 की धारा 6 के तहत वंशानुगत आवेदिका नीलमुनी मुर्मू को मौजा डकैता नं0–44 का प्रधान नियुक्त करने के लिए अनुशंसा किया गया है।

किसी भी व्यक्ति या प्रधिकार द्वारा उक्त नियुक्ति पर कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुआ है। इससे स्पष्ट है कि आवेदिका मौजा के 16आना रैयतों को सामान्यतः स्वीकार है तथा उनके विरूद्ध संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) नियमावली, 1950 के तहत् वर्णित किसी भी प्रकार की अयोग्यता से संबंधित प्रतिवेदन अप्राप्त है। संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) नियमावली, 1950 के अनुसूची–V की उपधारा–3 के अनुसार The office of Headman being hereditary the next heir who is titled should be headman के आलोक में आवेदिका के आवेदन के विरूद्ध मौजा के 16आना रैयतों से किसी भी प्रकार का आपत्ति प्राप्त नहीं होने तथा अंचल अधिकारी, बोआरीजोर के जांच प्रतिवेदन के आधार पर नीलमुनी मुर्मू, पति–स्व0 राजा हांसदा को संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम, 1949 की धारा–6 के तहत् मौजा–डकैता नं0–44 का प्रधान नियुक्त किया जाता है। नवनियुक्त प्रधान को आदेश दिया जाता है कि वे एक वर्ष का खजाना कोषागार में जमाकर चालान की प्रति के साथ संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम, 1949 की धारा–7 के तहत् कबूलियत और जमानत दाखिल कर पट्टा प्राप्त करेंगे।

लेखापित।

20/10/2015

अनुमंडल पदाधिकारी,
महागामा।

20/10/2015

अनुमंडल पदाधिकारी,
महागामा।

F/Order.

आदेश की क्रम संख्या एवं तारीख। १	आदेश और पद[illegible] २
31.10.2020	आवेदक नीलमुनी मुर्मू, पति–स्व0 राजा हांसदा, सा0–डकैता [illegible] अंचल–बोआरीजोर, अनुमण्डल–महागामा, जिला–गोड्डा (झा0) के [illegible] कबूलियत के साथ ट्रेजरी चालान की प्रति जमा किया गया है। मौजा–डकैता नं0–44 का कुल वार्षिक लगान रूपये–930.00 (नौ सौ तीस रूपये) मात्र है। प्रधानी पट्टा निर्गत किया जाता है। **लेखापित एवं संशोधित,** **अनुमण्डल पदाधिकारी,** **महागामा।** **अनुमण्डल पदाधिकारी,** **महागामा।**